भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 165

(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया गया)

<u>गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए अभियोग मामले</u>

165. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दर्ज किए गए काफी संख्या में अभियोग मामले निर्दिष्ट न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) गत दो वर्षों के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों सहित देश में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): अब तक गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर कुल 967 शिकायतें नामित न्यायालयों में लंबित हैं।

(ग): पिछले दो वर्षों के दौरान एसएफआईओ द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित प्राप्त कुल शिकायतें इस प्रकार हैं:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2014	797
2015	1375

*****